

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
निम्नदाब विद्युत कनेक्शन में भार/मांग (वृद्धि/कमी)/टैरिफ परिवर्तन हेतु
आवेदन सह अनुबंध पत्र

स्व हस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज फोटो

प्रति,

सहायक/कनिष्ठ अभियंता,
छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.

महोदय,

मैं/हम अपने परिसर में विद्युत कनेक्शन के अंतर्गत _____ हेतु निवेदन करता/करते हैं ।
इसके लिए वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

1. विद्युत कनेक्शन क्रमांक (बी.पी.नंबर)
2. आवेदक का नाम/संस्थान
3. पिता/पति/निदेशक/हिस्सेदार/ट्रस्टी का नाम
4. परिसर का पता (जहां कनेक्शन में भर वृद्धि/कमी/टैरिफ परिवर्तन हेतु आवेदन दिया जा रहा है)
मकान/प्लाट/परिसर क्रमांक _____ सड़क/क्षेत्र/कॉलोनी _____
कस्बा/शहर/गांव _____ विकास खण्ड _____
जिला _____ मोबाईल नंबर _____
ई-मेल (यदि उपलब्ध हो तो)
आधार कार्ड क्रमांक (यदि उपलब्ध हो तो)बी.पी.एल.सर्वे सूची (यदि उपलब्ध हो तो) क्र. _____
औद्योगिक कनेक्शन हेतु (1) आई.ई.एम. क्रमांक एवं दिनांक _____
(2) ई.एम.1/एस.एस.आई. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक _____
5. विद्युत आपूर्ति का प्रयोजन
6. परिसर में स्वीकृत भार _____ प्रचलित टैरिफ _____
7. प्रस्तावित कुल संयोजित भार/अनुबंधित मांग किलो वाट /एच.पी.
8. प्रस्तावित तिथि जब से संयोजित भार/अनुबंधित मांग में वृद्धि/कमी वांछित है _____
9. विद्युत कनेक्शन का प्रकार : 1. सिंगल फेस 2. थ्री फेस
10. अ. प्रस्तावित तिथि जब से टैरिफ परिवर्तन वांछित है _____
ब. वांछित टैरिफ श्रेणी _____
11. क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञप्तिधारी की कोई बकाया राशि शेष है ? हाँ/नहीं
12. क्या स्थल जहाँ विद्युत आपूर्ति मांगी जा रही है, पर कोई बकाया राशि शेष है ? हाँ/नहीं
13. शासन द्वारा अधिकृत विद्युत लाईसेंस ठेकेदार का नाम जिसके द्वारा आवेदित परिसर में विद्युत वायरिंग का कार्य किया गया है नाम व पता लाईसेंस क्रमांक
14. उपरोक्त आवेदन के आधार पर विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से निम्न बिंदु पर मैं/हम सहमत हैं :-
 - क. उपरोक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं अन्यथा की स्थिति में विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी ।
 - ख. यह कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित जिसका आगे चलकर "वितरण कंपनी" के नाम से उल्लेख है, उपभोक्ता को 230/400 वोल्ट पर कंडिका 4 में दर्शाए हुए स्थान पर विद्युत आपूर्ति करेगा । उपभोक्ता इसका उपयोग कंडिका 6 में दर्शाए प्रयोजन के लिये और कंडिका 8 में घोषित भार की सीमा तक ही करेगा ।
 - ग. यह कि विद्युत कनेक्शन के अंतर्गत वांछित भार/मांग/टैरिफ परिवर्तन की व्यवस्था पूरी हो जाने पर वितरण कंपनी उपभोक्ता को इसकी सूचना देगी सूचना के उपरांत निर्धारित तिथि से अनुबंध प्रभावशाल होगा यह अनुबंध विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अधीन विद्युत प्रदाय समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा ।
 - घ. यह कि उपभोक्ता द्वारा विगत माह में की गई विद्युत की खपत के लिए वितरण कंपनी को प्रत्येक माह ऐसे विद्युत एवं अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा जो कि अनुबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए

समय-समय पर आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे । इन प्रभारों में ईंधन मूल्य, समायोजन प्रभार एवं अन्य विविध प्रभार भी सम्मिलित होंगे ।

- ड. यह कि उपभोक्ता विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों व समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा ।
- च यह कि उपभोक्ता परिसर पर किसी भी प्रकार की बकाया राशि/संचित राशि का भुगतान करेगा तथा सहमति देता है कि वितरण कंपनी उपभोक्ता से इस तरह की राशि वसूली अथवा बकाया राशि को उपभोक्ता के नाम पर किसी अन्य मौजूद कनेक्शन, चाहे वह किसी अन्य परिसर में हों, में स्थानान्तरित कर सकने हेतु अधिकृत रहेगा ।
- छ. यह कि उपभोक्ता वितरण कंपनी द्वारा चयनित स्थान पर स्थापित विद्युत मीटर की सुरक्षा करेगा एवं उक्त मीटर की सील के साथ छेड़खानी नहीं करेगा ।
- ज. यह कि उपभोक्ता अपने परिसर में वितरण कंपनी के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को मीटर वाचन, निरीक्षण, जांच संधारण एवं परीक्षण आदि हेतु निर्बाध प्रवेश देगा ।
- झ. यह कि उपभोक्ता वितरण कंपनी द्वारा प्रदत्त विद्युत का उपयोग स्वयं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति/परिसर में विद्युत का विस्तार/किराये पर देने का कार्य नहीं करेगा ।
- ट. यह कि उपभोक्ता विद्युत अधिनियम 2003 तथा उनके तहत निर्धारित कानून एवं नियम संशोधनों सहित विद्युत प्रदाय संहिता एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपबंध) नियमावली 2010 के प्रावधानों तथा उनमें समय-समय पर किये गये संशोधनों के अंतर्गत ही वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की जावेगी तथा उपभोक्ता उक्त प्रावधानों का पालन करेगा । अनुबंध का अर्थ एवं व्याख्या भी उन्हीं के यथासंदर्भानुसार की जावेगी ।

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने

आवेदक ने हस्ताक्षर किये

(नाम व पता)

1) गवाह :-

2) गवाह :-

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने

प्राधिकृत अधिकारी ने हस्ताक्षर किये

(नाम व पता)

1) गवाह :-

2) गवाह :-

वितरण कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

संभाग

दिनांक